187

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : दो–निगरानी / दतिया / भू0रा0 / 2017 / 2888– विरूद्ध – आदेश दिनांक 13–6–2008 पारित व्दारा – कलेक्टर, जिला दतिया – प्रकरण क्रमांक 196 बी–121 / 2006–07

1– बासुदेव पुत्र दीपचंद सिंधी
निवासी होलीपुरा दतिया
व्दारा मुख्त्यारआम
श्रीमती संगीता परलानी पुत्री दीपचंद
पत्नि नरेन्द्र परलानी निवासी होलीपुरा
दतिया, मध्य प्रदेश
2– शीतलप्रसाद पुत्र प्रकाशचन्द्र अग्रवाल
निवासी पटठापुरा दतिया म0प्र0 ——आवेदकगण

विरूद्ध ——अनावेदक

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर,दतिया

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री मुकेश शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 25–2–2019 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 196 बी–121/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 13–6–2008 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 195 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।,

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि दतिया गिर्द की भूमि सर्वे कमांक 2473 कुल रकबा 5–690 हैक्टर में से रकबा 1–196 हैक्टर के आवेदकगण भूमिस्वामी है। क्षे प्रबंधक म0प्र0 बेयर हाउसिंह कार्पोरेशन एण्ड लाजिस्टंग ग्वालियर ने दतिया में ग निर्माण हेतु कलेक्टर दतिया से भूमि की मांग करने पर कलेक्टर दतिया ने भूमि कमांक 2473/20 में से 1–620 हैक्टर आवंटित की एंव प्रकरण कमांक 196 बी–1 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 13–6–2008 से आवेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 2473/20 कुल रकबा 5–690 हैक्टर में से न बटांकित करते हुये रकबा 1–620 हैक्टर आवेदकगण के स्वामित्व का कब्जा म0प्र0 हाउसिंह कार्पोरेशन एण्ड लाजिस्टंग ग्वालियर सौंप दिया।

आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि पर म0प्र0 बेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लाजिस्टंग ग्वालियर ने निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर आवेदकगण ने विवाद उत्पन्न करते हुये दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 2473/20 कुल रकबा 5–690 हैक्टर शेष रहे रकबा 4–070 हैक्टर में समान रकबा 1–196 हैक्टर अथवा म0प्र0शासन की अन्य समान भूमि दिये जाने की मांग की , किन्तु कलेक्टर दतिया ने आवेदकगण की पर विचार न करते हुये लम्बे अरसे से प्रकरण Pending डाल रखा है जिसके विरूद्ध निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि आवेदकगण के भूमि विनिमय में दिये वावत् लम्बित प्रकरण का निराकरण या तो कलेक्टर दतिया से समय–सीमा में द जावे अथवा अपेक्षित भूमि आवेदकगण को विनिमय में प्रदान कर दी जावे।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायाल अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि भूमिस्वामी मुलायम सिं रामप्रकाश निवासी जहॉगीर कटरा ग्वालियर से दीपचंद सिन्धी ने जर्य पॅजीकृत पत्र दिनांक 25–6–92 से भूमि सर्वे क0 2473/20 में से रकबा कय किया है जिसक

अभिलिखित भूमिस्वामी है। आवेदकगण ने कलेक्टर दतिया के समक्ष भूमि के बदले भूमि दिलवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने मांग की है कि भूमि सर्वे क्रमांक 2473 / 20 रकबा 5–968 हैक्टर के रकवा में से 1–196 हैक्टर भूमि प अवैधानिक रूप से ले ली गई है , बदले में उन्हें भूमि दिलाई जावे। इसी सर्वे नंबर में रकबा 1–196 हैक्टर का कब्जा म0प्र0 बेयर हाउसिंह कार्पोरेशन एण्ड लाजिस्टंग ग्वालिर को चले जाने के कारण आवेदकगण ने दतिया गिर्द स्थित भूमि के बदले समीपस्थ मौर रिछारी स्थित निम्नानुसार शासकीय भूमि दिये जाने की मांग की है –

ग्राम का नाम	भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा हैक्टर में
रिछारी	61	0.870
,,	62	0.120
,,	63	0.100
,,	64	0.010
,,	66	0.200
,,	67	0.320
,,	68	0.840

तहसीलदार दतिया के प्रकरण क्रमांक 40 अ–6–अ / 06–07 में पृष्ठ 6 एंव 7 पर उन व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, दतिया को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 4–8–07 संलग्न जिसके पद 3 में इस प्रकार प्रतिवेदन अंकित किया गया है :–

आवेदक की भूमि पूर्व से ही नाले एंव दतिया उन्नाव पी0डब्ल्यू0डी0रोड से लगी हुई है, इसी से ल हुई कुछ भूमि शासकीय आबादी सर्वे नं0 2497 / 10 रकबा 0.424 आरे दर्ज है, क्योंकि स्थल वेयचर हाउस का गोदाम लगभग 1–620 है. में बना है। स्थल पर इसके अतिरिक्त अन्य शासव भूमि नहीं है, स्थल निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि वेयर हाउस कारपोरेशन म0प्र0 का गोदाम 1–196 हैक्टर भाग आवेदक की खाते की भूमि में बना है।

विचार योग्य है कि जब म0प्र0शासन की ओर से **वेयर हाउस** कारपोरेशन के लि आवेदकगण की भूमि चिन्हांकन कर गोदाम निर्माण करवा दिया गया , आवेदकगण यदि उनके स्वामित्व की भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है, म0प्र0 राजस्व पुस्त परिपत्र चार–3 में भूमि विनिमय वावत् की गई व्यवस्था के अनुरूप आवेदकगण को उनव भूमि के बदले में भूमि दिये जाने पर विचार क्रिया जाना चाहिये, जबकि आवेदकगण की

ओर से बताया गया है कि भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रकरण कलेक्टर कार्यालय निराकरण के अभाव में व्यर्थ लम्बित है । यदि आवेदकगण का प्रकरण आज की स्थिति लम्बित है तब न्याय के उद्देश्य से शासन नियमों के अधीन एक निश्चित् समय–सीमा प्रकरण का अंतिम निराकरण होना लाजमी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जा म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग क हुये कलेक्टर जिला दतिया को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदकगण के भूमि विनिमय लम्बित प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 30 दिवस की अवधि में अं निराकरण किया जावे।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर